जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 64/2018 अनवानी भारमल पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी चक 9–10 बीएनडब्लू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार महोदय(सहायता) एवंम लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

31–10–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भारमल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर प्रस्तुत कर निम्न चार बिन्दूओं पर सूचना चाही थी जो उसे निर्धारित अवधि 30 दिवस मे उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर के विरूद्ध पेश की गई है और अपील पत्र में अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि उसे चाही गई सूचनाऐं अब निशुल्कः उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2018 से तहसीलदार सादुलशहर से निम्न सूचनाऐं चाही थी।

1. आवेदक के पिता श्री देवीलाल पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी चक 9–10 बी.एन.डब्लू के नाम से चक 10 बी.एन.डब्लू पटवार हल्का धर्मसिंह वाला तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 39/34 के मुरब्बा नं. 53 में किला नं. 11,12,13/1,16 ता 25 कुल 12.5 बीघा तथा मुरब्बा नं.54 में किला नं. 1 ता 5 है, इस प्रकार कुल आराजी नहरी 17.5 बीघा है। उक्त आराजी में सरसों, चना, गेंहू तथा जौ का बीजान किया हुआ था। जो कि ओलावृष्टि के चलते उक्त फसल खराब हो गई थी। उक्त आराजी के फसल खराबे के सम्बन्ध में सम्बधित राजस्व हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्रदान करे।
2. उक्त आराजी के फसल खराबे का मुआवजा अथवा क्षति पूर्ती की राशि राज्य सरकार अथवा राजस्व विभाग द्वारा किस व्यक्ति को भुगतान किया गया? कितनी राशि का भुगतान किया गया? मुआवजा अथवा क्षति पूर्ती के भुगतान का तरीका क्या था? क्या भुगतान नगद किया गया? अथवा लाभार्थी को चैक या बैंक खाते मे राशि जमा करवाई गई? उक्त सम्बन्ध में समस्त सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाये।
3. उक्त आराजी के फसल खराबे का मुआवजा अथवा क्षति पूर्ती का भुगतान क्या प्रार्थी के पिता श्री देवीलाल पुत्र श्री धन्नाराम को किया गया था? यदि हां तो भुगतान किस दिनांक को किया गया? यदि नहीं तो उक्त आराजी के फसल खराबे के मुआवजे का भुगतान किस आधार पर जारी किया गया? इस सम्बन्ध में सूचना के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदान करें।
4. उक्त चक 10 बीएनडब्लू पटवार हल्का धर्मसिंह वाला तहसील सादुलशहर के स्थित आराजियों के फसल खराबे बाबत तैयार की गई सर्वे सूची के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सादुलशहर द्वारा न तो कोई उत्तर अपीलार्थी को दिया गया और न ही कोई सूचना उपलब्ध करवाई गयी। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम के धारा 7 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक था। उक्त अधिनियम की धारा 7 निम्न प्रकार से है।

> 7. **अनुरोध का निपटारा**—(1) धारा 5 की उप—धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप—धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथा संभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

चूंकि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादूलशहर द्वारा अभी तक कोई निर्णय लिया जाकर अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सादूलशहर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सुनकर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर—भीतर विधिवत् निर्णय पारित करें। आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर